- **Name of Teacher: Dr. Ravi Agarwal**
- **Mob. No.: 9451176185**
- **Email Id: draviecontent@gmail.com**
- **Designation: Assistant Professor**
- **University: Lucknow University, UP**
- **College: Maharana Prtap Government PG College Hardoi, U.P.**

- **Stream: Commerce**
- **Faculty: Commerce**
- **Department: Commerce**
- **Subject: Income Tax**
- **Course Duration: 3 Years**
- **Sub Topic: Set -off and Carry forward of the losses**
- **Type: PDF**
- **Search Keyword: Set-off and Carry forward of the losses, HANIYO KI POORTI EVM AAGE LE JANA, Set-off and Carry forward**

Self-Declaration

The content is exclusively meant for academic purposes and for enhancing teaching and learning. Any other use for economic/commercial purpose is strictly prohibited. The users of the content shall not distribute or disseminate or share it with anyone else and its use is restricted to advancement of individual knowledge. The information provided in this e-content is authentic and best as per my knowledge.

हानियों की पूर्ति एवं आगे ले जाना
(Set -off and Carry forward of the losses)

डा. रवि अग्रवाल

हानियों की पूर्ति एवं आगे ले जाना से आशय- सकल कुल आय की गणना करने के लिये सर्वप्रथम आय के 5 शीर्षकों के अंतर्गत विभिन्न स्रोतों से आय की गणना की जाती है। यदि प्रत्येक स्रोत एवं शीर्षक के अंतर्गत धनात्मक आय या लाभ अर्जित होता है तो सकल कुल आय की गणना करने के लिये सभी को जोड़ दिया जाता है। किंतु यदि कुछ स्त्रोतों या शीर्षकों में नकारात्मक शेष अर्थात हानि होती है तो ऐसी हानि को आय के अन्य स्रोत या शीर्षक की आय से समायोजित किया जाता है।

जिस वर्ष मेँ आय के किसी स्त्रोत से हानि होती है उस हानि की पूर्ति उसी गत वर्ष में आय के किसी अन्य स्रोत या शीर्षक से निर्धारित नियमों के अंतर्गत करना हानियों की पूर्ति कहलाता है। अत: गत वर्ष में आय के किसी स्रोत या शीर्षक में होने वाली हानि को किसी अन्य स्रोत या शीर्षक की आय से समायोजित करना ही 'हानि की पूर्ति' कहलाता है।

यदि किसी गत वर्ष में आय के किसी शीर्षक की समस्त हानि अन्य शीर्षकों की आय से पूर्णत: समायोजित नहीं हो पाती है, तो इस प्रकार की अवशेष हानि को आगे आने वाले वर्षों की आय से निर्धारित नियमानुसार समायोजित किया जा सकता है। इस प्रकार एक गत वर्ष में आय के किसी शीर्षक की अवशेष हानि को भविष्य के वर्ष में समायोजित करने हेतु ध्यान में रखा जाता है तो इसे 'हानियों को आगे ले जाना' कहा जाता है।

हानियों की पूर्ति एवं उन्हें आगे ले जाने के संबंध में आयकर अधिनियम के अंतर्गत विशेष प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। निर्धारित प्रावधान के अनुसार ही किसी हानि की पूर्ति या उसे आगे ले जाया जा सकता है।

आय के स्रोत एवं आय के शीर्षक में अंतर-

आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत आय के पांच शीर्षक (वेतन, मकान संपत्ति, व्यापार अथवा पेशा, पूंजी लाभ, अन्य स्त्रोत) निर्धारित किए गए हैं। एक व्यक्ति गत वर्ष में अपनी कुल आय अधिकतम पाँच शीर्षकों में ही विभाजित कर सकता है। आय के स्रोत अनिश्चित संख्या में हो सकते हैं। आय का प्रत्येक स्रोत आय के किसी विशेष शीर्षक से संबन्धित होता है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति के स्वामित्व में दो मकान हैं, तो प्रत्येक मकान आय का पृथक स्रोत माना जाएगा, किंतु दोनों ही मकान, 'मकान संपत्ति से आय' शीर्षक में कर योग्य होंगे। इसी प्रकार यदि करदाता कपड़े का व्यापार तथा आभूषण का व्यापार एक साथ करता है तो दोनों प्रकार के व्यापार अलग-अलग स्रोत है किंतु आय का शीर्षक 'व्यापार अथवा पेशे से लाभ एवं प्राप्तियां' होगा।

हानियों की पूर्ति करने की विधि-

हानियों की पूर्ति दो प्रकार से हो सकती है-

1. अन्तर स्त्रोत हानियों की पूर्ति

2. अन्तर शीर्षक हानियों की पूर्ति

एक ही शीर्षक में हानि की पूर्ति या अन्तर स्त्रोत हानियों की पूर्ति-
(Setting –off loss under the same Head of Income or Inter-Source Set-off)

किसी गत वर्ष में आय के एक स्त्रोत से होने वाली हानि की पूर्ति संबंधित शीर्षक के किसी अन्य स्त्रोत से होने वाली कर योग्य आय से की जा सकती है। जैसे-रहने के मकान से होने वाली हानि को किराए पर दिए गए मकान की आय से पूरा किया जा सकता है, जिसे अन्तर स्त्रोत हानि की पूर्ति कहा जाता है।

कुछ विशेष दशाओं में अन्तर स्त्रोत हानि की पूर्ति नहीं हो सकती है अर्थात अन्तर स्त्रोत हानि की पूर्ति के निम्नलिखित अपवाद हैं-

i. सट्टे के व्यापार की हानि गैर सट्टे के व्यापार से पूरी नहीं की जा सकती है।
ii. विनिर्दिष्ट व्यवसाय की हानि की पूर्ति किसी अन्य विनिर्दिष्ट व्यापार के लाभ से ही की जा सकती है, किसी अन्य व्यापार के लाभ से नहीं।
iii. दीर्घकालीन पूंजी हानि की पूर्ति अल्पकालीन पूंजी लाभ से नहीं की जा सकती है। दीर्घकालीन पूंजी हानि केवल दीर्घकालीन पूंजी लाभ से पूरी की जा सकती है।
iv. घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व एवं रखरखाव से होने वाली हानि की पूर्ति केवल घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व एवं रखरखाव की आय से की जा सकती है। किसी अन्य स्त्रोत की आय से इसे पूरा नहीं किया जा सकता।
v. कर मुक्त आय के स्त्रोत से होने वाली हानि की पूर्ति किसी भी कर-योग्य आय से नहीं की जा सकती है, जैसे-कृषि की हानि को किसी अन्य स्त्रोत से पूरा नहीं किया जा सकता है।
vi. आय के आकस्मिक स्त्रोत की हानि किसी भी अन्य आय से पूरी नहीं की जा सकती है, जैसे-लॉटरी, जुआ, घुड़दौड़ की जीत आदि।

आय के एक शीर्षक की हानि दूसरे शीर्षक की आय से पूर्ति करना या अंतर-शीर्षक पूर्ति
(Setting-off loss under one Head against Income under different Head or Inter-Head Set-off)

यदि किसी गत वर्ष में आय के एक शीर्षक की हानि उस शीर्षक से पूरी नहीं हो पाती तो शेष हानि की पूर्ति निर्धारित नियमानुसार अन्य किसी शीर्षक की आय से पूरी की जा सकती है। इस प्रकार हानि की पूर्ति अंतर शीर्षक पूर्ति कहलाती है अंतर शीर्षक हानि की पूर्ति से संबंधित निम्नलिखित प्रतिबंध या प्रावधान हैं-

i. मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत हानि की पूर्ति आय के किसी अन्य शीर्षक से अधिकतम ₹200000 तक ही की जा सकती है।

ii. सामान्य व्यापार की हानि की पूर्ति 'वेतन' शीर्षक के अतिरिक्त आय के किसी भी अन्य शीर्षक से की जा सकती है।
iii. निर्दिष्ट व्यापार की हानि केवल निर्दिष्ट व्यापार की आय से ही पूरी की जा सकती है।
iv. सट्टे के व्यापार की हानि केवल सट्टे के व्यापार की आय से पूरी की जा सकती है।
v. पूंजी लाभ शीर्षक के अंतर्गत अल्पकालीन पूंजी हानि किसी अन्य पूंजी लाभ (अल्पकालीन या दीर्घकालीन) से पूरी की जा सकती है। दीर्घकालीन पूंजी हानि की पूर्ति केवल दीर्घकालीन पूंजी लाभ से हो सकती है।
vi. घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व एवं रखरखाव से हानि आय के किसी अन्य स्रोत व शीर्षक से नहीं की जा सकती है।
vii. आकस्मिक आय के किसी स्रोत की हानि किसी भी अन्य स्त्रोत या आय से पूरी नहीं की जा सकती है।

हानियों को आगे ले जाना एवं पूर्ति करना

(Carry Forward and Set-off of Losses)

जब किसी गत वर्ष में आय के एक शीर्षक की हानि भविष्य में आने वाले वर्षों की आय से पूरी की जाती है, तो इसे हानियों को आगे ले जाना व पूर्ति करना कहते हैं। अर्थात जिस गत वर्ष में हानि उदय हो, पूर्ति उसके बाद वाले गत वर्ष में की जाए, तो इसे हानि को आगे ले जाना कहेंगे। आयकर अधिनियम के अंतर्गत कुछ विशेष व निश्चित हानियों को ही निर्धारित नियमानुसार आगे ले जाकर पूरा किया जा सकता है। हानियों को आगे ले जाना व पूर्ति करने से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित हैं-

i. **मकान संपत्ति से हानि**- मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत शेष हानि को अगले अधिकतम 8 वर्ष तक केवल मकान संपत्ति से आय शीर्षक से पूर्ति हेतु आगे ले जाया जा सकता है।
ii. **गैर सट्टा व्यापार या पेशे की हानि-** सामान्य गैर सट्टा व्यापार या पेशे की की अवशेष हानि की पूर्ति अगले अधिकतम 8 वर्षों तक व्यापार या पेशे की आय शीर्षक से पूरी की जा सकती है।
iii. **सट्टे के व्यापार की हानि**- सट्टे के व्यापार की शेष हानि की पूर्ति अगले अधिकतम 4 वर्षों तक केवल सट्टे के व्यापार के लाभ से की जा सकती है।
iv. **विनिर्दिष्ट व्यापार की हानि**- धारा-35AD में विनिर्दिष्ट व्यापार की अवशेष हानि भविष्य में किसी अन्य विनिर्दिष्ट व्यापार की आय से की जा सकती है।
v. **अल्पकालीन पूंजी हानि**- अल्पकालीन पूंजी हानि की अवशेष राशि अगले 8 वर्षों तक केवल पूंजी लाभ शीर्षक से पूरी की जा सकती है।
vi. **दीर्घकालीन पूंजी हानि**- गत वर्ष में अवशेष दीर्घकालीन पूंजी हानि अगले अधिकतम 8 वर्षों तक आगे ले जाकर केवल दीर्घकालीन पूंजी लाभ से पूरी की जा सकती है।
vii. **घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से हानि**- घुड़दौड़ के घोड़ों के रखरखाव से गत वर्ष में अवशेष हानि की पूर्ति अगले अधिकतम 4 वर्षों में घुड़दौड़ के घोड़ों के रखरखाव से होने वाली आय से ही पूरी की जा सकती है।
viii. **लॉटरी, शर्त, ताश, पहेली आदि आकस्मिक हानियां-** आकस्मिक हानियों की पूर्ति नहीं की जा सकती है, अतः इन्हें आगे भी नहीं ले जाया जाता है।

ix. **अशोधित ह्रास-** गत वर्ष के अशोधित ह्रास की पूर्ति आय के किसी भी शीर्षक से की जा सकती है। अशोधित ह्रास को आगे ले जाने से संबंधित समय सीमा निर्धारित नहीं है।

अशोधित ह्रास घटाने का क्रम-

i. चालू वर्ष का ह्रास
ii. वैज्ञानिक अनुसंधान व परिवार नियोजन पर पूंजीगत व्यय
iii. आगे लायी गयी व्यापारिक हानियां
iv. अशोधित ह्रास
v. वैज्ञानिक अनुसंधान व परिवार नियोजन पर अशोधित पूंजीगत व्यय

References-

- Mehrotra, H.C. (2020): *'आयकर विधान एवं लेखे' साहित्य भवन प्रकाशन, आगरा।*
- Mehrotra, H.C. (2020): 'Income Tax Law and Practice' Sahitya Bhawan Publications, Agra.

Please send your suggestions and queries at-

9451176185

or

draviecontent@gmail.com

Thank You!!

Learn & Keep smiling forever….